अतिआवश्यक / विधानसभा

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ सेवाऐं, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–16वीं विधानसभा / तृतीय सत्र / 2025 / 360 दिनांकः 24/1/25

1 समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, राजस्थान।
2 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
3 समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।

विषय :–16वीं राजस्थान विधानसभा का तृतीय सत्र शुक्रवार, दिनांक 31 जनवरी, 2025 से प्रारम्भ होने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि **16वीं राजस्थान विधानसभा का तृतीय सत्र शुक्रवार, दिनांक 31 जनवरी, 2025** से प्रारम्भ होने जा रहा है। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि:–

1. **विधानसभा सत्र के दौरान पडने वाले अवकाश के दिनों में भी आपके अधीनस्थ समस्त कार्यालयों को खुला रखा जाना सुनिश्चित करेगे।** विधानसभा सत्र के दौरान अधिकारियों / कर्मचारियों को अवकाश अति आवश्यक होने पर सक्षम स्तर से स्वीकृत होने के उपरान्त ही दिया जायें। इसके अतिरिक्त अधिकारियों / कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।
2. **अपने जिले में विधानसभा प्रकोष्ठ गठित करें जो 24 घंटे कार्यशील रहे। इसके प्रभारी अधिकारी / कर्मचारी का नाम, मोबाईल नम्बर तथा प्रकोष्ठ का ऑफिस नम्बर आवश्यक रूप से उप निदेशक (विधानसभा) निदेशालय, जयपुर को उनके ई–मेल jdplan09@gmail.com / डाक द्वारा सूचित करें।**
3. विधानसभा सत्र के दौरान पर्ची, स्थगन प्रस्ताव, विशेष उल्लेख, ध्यानाकर्षण एवं प्रश्नों इत्यादि के उत्तर त्वरित गति से निर्धारित समयावधि में राज्य सरकार को भेजा जाना आवश्यक होता है। वर्तमान में विधानसभा में विभाग से संबंधित पर्ची, स्थगन एवं ध्यानाकर्षण किसी भी दिन आ सकते है। उपरोक्त से संबंधित समस्त सूचना अनिवार्यतः निश्चित समयावधि में उसी दिन शुन्यकाल दोपहर 12:00 से 1:00 बजे के दौरान माननीय मंत्री महोदय को विधानसभा में प्रस्तुत करना होता है। अतः आपका दायित्व हो जाता है कि पर्ची, स्थगन एवं ध्यानाकर्षण की सही एवं पूर्ण सूचना तुरन्त उपलब्ध करवायें। सूचीबद्ध प्रश्नों का सही एवं पूर्ण उत्तर मय पूरक सामग्री के प्रश्न के संबंध में प्रेषित समयावधि में आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
4. विधानसभा प्रश्नों का उत्तर भिजवाने से पूर्व प्रश्न का पूर्ण अध्ययन कर एक तरफ प्रश्न एवं उसके सामने ही उत्तर नेवा सॉफ्टवेयर द्वारा भेजें। **प्रश्न की भाषा में अपने स्तर पर कोई भी बदलाव नही करें।** आप द्वारा जो भी तारांकित प्रश्न का प्रत्युत्तर भेजा जाये, उसके साथ प्रश्न से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी व पूरक सामग्री के साथ भिजवायें।
5. विधानसभा प्रश्नों के उत्तर हेतु नेवा सॉफ्टवेयर का कियान्वयन 16वीं विधानसभा के तृतीय सत्र से प्रारम्भ कर दिया गया है। नेवा की ट्रेनिंग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में समस्त संबंधित को दी जा चुकी है। **अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीन एक कर्मचारी को नेवा सॉफ्टवेयर की मॉनिटरिंग हेतु लगाया जाना सुनिश्चित करेगे, जो 16वीं विधानसभा के तृतीय सत्र में प्रश्न प्रतिदिन सुबह–शाम चेक करेगे एवं प्राप्त प्रश्नों के उत्तर नेवा सॉफ्टवेयर पर आवश्यक रूप से अपलोड किया जाना सुनिश्चित करेगे।** सम्बंधित कर्मचारी का नाम एवं मोबाईल नम्बर विभाग की ईमेल आईडी jdplan09@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगे।
6. संवर्गो के स्वीकृत / कार्यरत पदों की संख्या, यदि रिक्त है तो कब से, कार्यरत अधिकारीं / कर्मचारी की नामवार सूची तथा चिकित्सालय की पूर्ण स्थिति से अवगत करायें।
7. विधानसभा सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व निम्नलिखित बिन्दुओं की बिन्दुवार सूचना (27 जनवरी 2025 की स्थिति में) **दिनांक 28.01.2025 तक** आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें:–

- जिले में कोई ऐसे मुद्दे जिनके बारे में विधानसभा सत्र में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एवं प्रश्न उठाये जाने की संभावना हो तो उनके बारे में संक्षिप्त विवरण टिप्पणी सहित भिजवायें।
- आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना मय रिक्ती दिनांक एवं कारण के विधानसभा क्षेत्रवार तथा संस्थावार अविलम्ब भिजवाये।
- चिकित्सालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएं जैसे–एक्सरे, सोनोग्राफी मशीन, ई.सी.जी., ऑपरेशन थियेटर/लैबोरेटरी आदि की सूचना तथा गत तीन वर्षो में किये गये कार्यो एवं उपलब्ध सुविधाओं का विवरण तथा अगर कोई उपकरण खराब हो तो कब से एवं ठीक कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई अंकित करें। रोगी वाहन की सूचना भी संलग्न करें।
- भवन व्यवस्था (राजकीय चिकित्सा संस्थान एवं क्वार्टर) का पूर्ण विवरण भिजवायें तथा राजकीय/दानदाता अथवा किराये के भवन एवं आवास गृह आदि की सूचना, भवन पूर्ण/अपूर्ण व मरम्मत, जर्जर की सूचना।
- चिकित्सालय के गत तीन वर्षो के आउटडोर/इन्डोर/बैड ऑक्यूपेन्सी/ऑपरेशन (मेजर/माईनर) प्रसव आदि का विवरण देवे।
- एमएनडीवाई के तहत् निःशुल्क उपलब्ध कराई गई औषधियों का विवरण एवं किये गये व्यय का विवरण तथा एमएनजेवाई के तहत् लाभान्वित मरीजों एवं जाचों की संख्या व किये गये व्यय का विवरण।
- राज्य में राजस्थान स्टेट हेल्थ ऐश्योरेन्स ऐजेन्सी द्वारा संचालित चिरंजीवी योजना से सम्बंधित समस्त सूचनाऐ यथा– पंजीकृत चिकित्सालय, लाभान्वित मरीज/परिवारों की विधानसभावार/जिलेवार सूचनाओं का विवरण, इत्यादि।
- संस्थावार वाहनों की उपलब्धता, वाहन चालकों की उपलब्धता एवं वाहन यदि खराब है तो ठीक करवाने के लिए अब तक क्या–क्या कार्यवाही की गई का पूर्ण विवरण।
- जिले में हुई बीमारियों के प्रकोप उनके नियंत्रण हेतु की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण एवं बीमारियों के प्रकोप से प्रभावित रोगियों की संख्या एवं मृत्यु का विवरण।

8. यदि किसी प्रश्न का उत्तर पत्र वाहक के साथ भेजा जाता है तो सम्बन्धित प्रश्न की पूर्ण जानकारी रखने वाले कर्मचारी के साथ ही भेजा जावें ना कि चतुर्थ श्रेणी या अन्य के साथ।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला स्तर पर विधानसभा/संसदीय कार्य से सम्बन्धित कार्य के लिए **नोडल अधिकारी** होंगे तथा वह जिले के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं अन्य संबंधित विभागों/कार्यालयों से सूचना प्राप्त कर उन्हें इकजाई कर संस्थाओं से प्राप्त सूचनाओं का उल्लेख करते हुये एवं जिले से सम्बन्धित प्रश्नों/प्रस्तावों से सम्बन्धित सूचनाएं भिजवाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

निदेशालय में उप निदेशक (विधानसभा) को विधानसभा से सम्बन्धित उक्त सूचनाऐं ईमेल आईडी **jdplan09@gmail.com** पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करे एवं विधानसभा से सम्बन्धित समस्त पत्राचार उप निदेशक (विधानसभा) निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के नाम से किया जावे।

अतः आपके जिले एवं चिकित्सालय से संबंधित सूचनाएं उप निदेशक (विधानसभा) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर को उपरोक्त ई–मेल पर दिनांक 27.01.2025 तक आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। विलम्ब के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायें।

(डॉ0 रवि प्रकाश शर्मा)
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः–16वीं विधानसभा/तृतीय सत्र/2025/360 दिनांकः 24/1/25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महोदया, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, मिशन निदेशक, (एनएचएम) मुख्यालय।
4. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन मुख्यालय।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स ऐजेन्सी राज. जयपुर।
6. आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण), मुख्यालय।
7. अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम एवं निदेशक (आईईसी) मुख्यालय।
8. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2/3) विभाग, राज. जयपुर।
9. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य) मुख्यालय।
10. निदेशक (आर.सी.एच./अराजपत्रित/एड्स/एमएसयू), मुख्यालय।
11. परियोजना निदेशक (एनएचएम)।
12. विशेषाधिकारी, एनएचएम।
13. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित/आर.सी.एच./चिकित्सा प्रशासन/ग्रा0स्वा0) मुख्यालय।
14. वित्तीय सलाहाकार, मुख्यालय एवं निदेशक वित्त, एनएचएम।
15. औषधि नियंत्रक मुख्यालय।
16. रजिस्ट्रार, आरएनसी/आरएमसी/आरपीएमसी/राज. फार्मेसी काउन्सिल, राजस्थान।
17. समस्त संयुक्त निदेशक, मुख्यालय।
18. समस्त राज्य नोडल अधिकारी, मुख्यालय।
19. राज्य क्षय रोग अधिकारी, मुख्यालय।
20. प्रभारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र सभी संयुक्त निदेशक (जोन) राजस्थान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को उनके ई–मेल आईडी पर मेल कराने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने सुनिश्चित करें।
21. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।